दूरभाष : 05732–259039
फैक्स : 05732–259039

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Uttar Pradesh Pollution Control Board

शिवपुरी, (स्टेट बैंक के सामने), रेलवे रोड, बुलन्दशहर – 203001

सन्दर्भ 1860/NOC-~~[illegible]~~ 565/12 दिनांक 09/11/12

सेवा में,

श्री कुँवरपाल सिंह पुत्र श्री ताराचन्द्र,
ग्राम व पोस्ट– खैरा नजफगढ़,
नई दिल्ली।

कार्य स्थल
मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0
खसरा संख्या–165, ग्राम लालपुर,
तहसील सिकन्दराबाद, जनपद, बुलन्दशहर।

विषय– पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोंण से मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प (भण्डारण क्षमता–36.0 किली0 पेट्रोल एवं 44.0 किली0 डीजल) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो कि इस कार्यालय में दिनांक 03.11.2012 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया तथा उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1) पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–

(क) स्थल–	खसरा संख्या–165, ग्राम लालपुर, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद, बुलन्दशहर।
(ख) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा–	शून्य
(ग) प्रयुक्त ईधन एवं उसकी मात्रा–	डीजल, 15 केवीए डी0जी0 सेट हेतु आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) घरेलू बाहिश्राव को सेप्टिकटैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर सेप्टिकटैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये।

(3) भण्डारण डिपो परिसर में किसी प्रकार की औद्योगिक प्रकिया संचालित नहीं की जायेगी।

(4) भण्डारण डिपो परिसर में चारो ओर पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जाय।

(5) भण्डारण डिपो की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाय कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी किया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं की जाय।

(6) भण्डारण डिपो द्वारा अनलोडिंग एवं रिफलिंग हेतु तथा सहयोगी प्रकियाओं में किसी प्रकार के ईधन का दहन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार का वायु उत्सर्जन किया जायेगा।

(7) भण्डारण/उपयोग हेतु आकस्मिक दुर्घटना नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपकरण तथा प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था अवश्य की जाय तथा इस सम्बन्ध में कारखाना विभाग से अनुमोदित डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को एक माह में प्रेषित की जाय।

(8) पेट्रोल पम्प द्वारा 15 केवीए डी.जी सेट के एक्जास्ट पाइप की ऊँचाई छत के तल से बोर्ड मानकों के अनुरूप 1.5 मी0 ऊँची रखी जाये। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर की स्थापना की जाये।

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

.........2/–

(9) प्रश्नगत प्रतिष्ठान से उत्पन्न किसी भी जोखिम के लिए भण्डारण डिपो के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ही जिम्मेदार होगें।

(10) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र डीजल/पेट्रोल की अनलोडिंग एवं फिलिंग हेतु मान्य है तथा स्थल पर किसी भी प्रकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उत्पादन हेतु मान्य नहीं है।

(11) पेट्रोल पम्प द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(12) जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पत्र प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(13) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से दो वर्ष तक वैध मान्य होगी।

(14) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा ट्रायल प्रारम्भ करने से दो माह पूर्व सहमति (जल/वायु) हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाय। बिना सहमति प्राप्त किये ट्रायल प्रारम्भ किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है।

भवदीय

(ए0के0 आनन्द)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–
नियंत्रक अधिकारी (वृत्त–8), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)